माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, खण्डपीठ रीवा (म.प्र.)

श्यामसुन्दर तनय रामभरोसा शर्मा निवासी कृपालपुर तह0 रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.जरिए मुख्त्यारखास.....अपीलार्थी

RS323-II/16

बनाम्

बाल्मीक तिवारी पिता कमला प्रसाद निवासी ग्राम कृपालपुर तह0 रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. .....रेस्पा0

अपील आदेश विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा के आदेश क. 801/2013-14 आदेश दिनांक 06.06.2016

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय,

अपीलार्थी निम्नानुसार अपील प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि रेस्पा0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि मौजा कृपालपुर तह रघुराजनगर स्थित आराजी नं. 803 रकबा 0.27 एकड व भूमि स्वामी रेस्पा0 अनावेदक है। तथा अपीलार्थी के द्वा उक्त आराजी के अंश रकवा 10X47 =470 वर्गफिट अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रुप से कब्जा किया गया है व निर्माण कार्य किया जा रहा है जिन्हें मना किया गया किंतु नही मानते को बेदखल कर रेस्पा0 को कब्जा दिलाया जाय

2. यह कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की नो प्राप्त होने के बाद न्यायालय में उपस्थित होकर इस आ का जबाव तहसीलदार न्यायालय में दिया कि अपीलार्थी तथा अपीलार्थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5323–दो/2016 निगरानी जिला – सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के प्रकरण कमांक 801/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि मौजा कृपालपुर की आराजी कमांक 804 के 10X47=470 वर्गफिट पर आवेदक का 100 वर्ष पूर्व से मकान बना है । अनावेदक ने जबरन धारा 250 का आवेदन तहसीलदार को दिया है एंव तहसीलदार ने सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर दिये बिना अंतिम आदेश पारित किया है जब अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील कमांक 55/12–13 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने वास्तविक स्थिति पर विचार किये बिना आदेश दिनांक 30–7–14 से अपील निरस्त करने की त्रृटि की है तथा अपर आयुक्त ने भी प्रकरण की गहराई में न जाकर आदेश दिनांक 6–6–16 से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की पुष्टी करने में भूल की है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर गुणदोष पर विचार किया जाना न्यायहित में लाजमी है। 4/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के प्रकरण कमांक 801/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की	

है कि रिस्पा. ने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को किसी को विक्रय नहीं किया है एंव भूमि का सीमांकन हो चुका है तथा सीमांकन आदेश की पुष्टि हो चुकी है । सीमांकन आदेश निगरानी के अभाव में अंतिम है। इसलिये संहिता की धारा 250 के तहत अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भूमि को रिक्त करना आवश्यक है। उन्होंने इन्हीं आधारों पर तहसीलदार के आदेश को एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–7–14 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश न होने से आगे प्रचलन–योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य